न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2023-050 (GCMS 2023-117)

1. माणकराम पुत्र खेमाराम
2. भागुराम उर्फ रामगोपाल पुत्र मोहनराम
3. रामनिवास पुत्र मलाराम
4. अमराराम पुत्र खेमाराम
5. भेराराम पुत्र मोहनराम
6. बाबुलाल पुत्र खेमाराम
7. रामप्रसाद पुत्र सुखराम
8. सीताराम पुत्र सुखराम

सभी जाति माली, निवासी रतियों की ढाणी
तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. घीसाराम पुत्र किस्तुरराम
2. कानाराम पुत्र किस्तुरराम
3. पदमाराम पुत्र किस्तुरराम
4. पाचाराम पुत्र किस्तुरराम
5. पपुडी पत्नी रामचन्द्र
6. शैतानराम पुत्र रामचन्द्र
7. बेबी पुत्री रामचन्द्र
8. गुड्डी पुत्री रामचन्द्र
9. बाया पुत्री मोहनराम
10. जेना पुत्री मोहनराम
11. नाजकी पत्नी मोहनराम
12. जीवणराम पुत्र खेमाराम
13. परसाराम पुत्र खेमाराम
14. मीमूडी पत्नी सुखराम
15. दुर्गाराम पुत्र मलाराम
16. पुनकी पत्नी मलाराम

सभी जाति माली, निवासी रतियों की ढाणी
तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

17. तहसीलदार भोपालगढ

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ दिनांक 10 फरवरी 2023 राजस्व वाद संख्या 2009/00022 (33/2009) अनवान घीसाराम

31.10.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व अन्य बनाम मोहनराम के कायममुकामान
आदि
------- 0 -------

उपस्थित-

1. श्री अक्षय दवे एवं श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
2. श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 5
3. श्री दिनेश सोलंकी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 9 से 16
4. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 17

नि र्ण य

दिनांक : 31 अगस्त, 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 2009/00022 (33/2009) अनवान घीसाराम व अन्य बनाम मोहनराम के कायममुकामान आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 10 फरवरी 2023 के खिलाफ यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 मार्च 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 8 की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम भोपालगढ तहसील भोपालगढ स्थित आराजी खसरा संख्या 2563 रकबा 39 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 2608 रकबा 20 बीघा, खसरा संख्या 2746 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 2825 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता चार रकबा 68 बीघा 09 बिस्वा बारानी सोयम के संबंध में प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से उक्त वाद का जबाब पेश कर विरोध किया गया, दावे एवं जबाब के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा मामले में दादरसी सहित कुल सात तनकियात कायम की गयी और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं

31-8-2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी उक्त दावा निर्णित करते हुए प्राथमिक डिकी जारी की गयी। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान के पूर्वज जुगा के चार पुत्र भीखा, धना, किस्तुर व किशना वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजियात पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त थे, किन्तु वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजियात बाबत किशना का नाम सहवन से दर्ज नहीं हो पाया और रिकार्ड में भीखा, धना, किस्तुर पिसरान जुगा के नाम ही दर्ज हुए। उक्त त्रुटि के परिमार्जन हेतु इनकी आपसी सहमति के आधार पर म्युटेशन संख्या 698 स्वीकृत होकर चारो भाईयों का नाम हिस्सा बराबर ¼-¼ दर्ज जमाबंदी संवत 2026-2029 में हुआ। कालान्तर में इन चारों में से किस्तुर व भीका का देहान्त हो गया, और राजस्व रिकार्ड में किशना पुत्र जुगा ¼, धन्ना पुत्र जुगा ¼,घेवरिया, मोहन, खेमला, मलिया पिसरान भीखा ¼ तथा घीसा,पदमा काना पांचा व रामचन्द्र पिसरान किस्तुरा ¼ दर्ज हुए। इसके बाद धन्ना पुत्र जुगा का भी देहान्त हो गया और उसके स्थान पर उसकी पत्नी जडाव ¼ हिस्से बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। इन खातेदारान द्वारा खसरा संख्या 2825 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा भूमि बाबत पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 24 अप्रेल 1979 को भागुराम भेराराम पिसरान मोहनराम के पक्ष में कर दिया गया। बकाया भूमि में से खसरा संख्या 2746 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा मोहनराम पुत्र भीखाराम के हिस्से में रखी गयी व खसरा संख्या 2563 व 2608 किशनाराम पुत्र जुगाराम ¼, घेवरराम मोहनराम मलाराम पिसरान भीखाराम एवं घीसाराम कानाराम पदमाराम पांचाराम रामचन्द्र पिसरान किस्तुरराम ¼ हिस्सा दर्ज किया गया। जडाव पत्नी धन्नाराम फौत होने पर उनके हिस्से में से ⅓ हिस्सा की भूमि किशना पुत्र जुगा, ⅓ हिस्सा की भूमि घेवर मोहन खेमा मला पिसरान भीखाराम तथा

31.0.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बकाया ⅓ हिस्सा भूमि घीसा, काना, पदमा, पांचा व रामचन्द्र पिसरान किस्तुरराम के पक्ष में दर्ज हुई। इसके बाद किशनराम पुत्र जुगाराम ने अपना सम्पूर्ण ⅓ हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 11 मई 1989 को रामगोपाल पुत्र मोहन, रामनिवास पुत्र मलाराम, बाबुलाल अमराराम पि. खेमाराम के पक्ष में बेचान कर दिया। इन तथ्यों की पुष्टि विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर भलीभांति होती है। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समुचित विचार किये बिना, कारण सहित कोई निष्कर्ष अंकित किये बिना एवं विधिक प्रावधानों की समुचित पालना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 5 ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत वक्त सेटलमेण्ट पर्चा लगान भीखा, किस्तूरा व धन्ना पिसरान जुमा के नाम ही जारी हुआ। कालान्तर में किशनाराम को सहखातेदार दर्ज किये जाने बाबत म्युटेशन संख्या 698 गलत तौर पर स्वीकृत हुआ, क्योंकि खातेदारी अधिकारों की घोषणा विधिवत सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है, मात्र तथाकथित सहमति के आधार पर म्युटेशन के जरिये खातेदारी अधिकार किसना पुत्र जुगा को प्राप्त नहीं हो सकते है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

31.8.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि दावे एवं जबाब दावे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी-

1. आया जुगाराम के तीन पुत्र भीका, धन्ना व किस्तुर थे तथा धन्ना के लाऔलाद फौत होने पर उसका ⅓ हिस्सा भीखाराम व किस्तूरराम के वारिसान में निहित हो गया? .... जिम्मे वादी
2. आया राजस्व ग्राम भोपालगढ की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2563, 2608, 2746 व 2825 कुल खसरा 04 रकबा 68.09 बीघा में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 बहिस्सा बराबर ½-½ हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषणा करवाने के अधिकारी है? .... जिम्मे वादीगण
3. आया वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के साथ माप व सीमांकन के अनुसार बंटवारा करवाने के अधिकारी है? .... जिम्मे वादीगण
4. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? .... जिम्मे वादीगण
5. आया राजस्व ग्राम भोपालगढ की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 2746 रकबा 3.04 बीघा प्रतिवादी संख्या एक मोहनराम व खसरा संख्या 2825 रकबा 5.08 बीघा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की खातेदारी कब्जासुद जमीन है? .... जिम्मे प्रतिवादीगण
6. आया वादीगण का वाद गलत एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने एवं विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है? .... जिम्मे प्रतिवादीगण
7. अनुतोष?

किन्तु अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का उक्त तनकियात के संबंध में समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर तनकीवार निष्कर्ष पारित नहीं किया गया है।

इतना ही नहीं, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-पक्ष की ओर से वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजियात पर पक्षकारान के पूर्वज जुगा के चार पुत्रों भीखा, धना, किस्तुर व किशना वक्त सेटलमेण्ट

31-8-2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कब्जा-काश्त होना, सहवन से वक्त सेटलमेण्ट भीखा, धना, किस्तुर पिसरान जुगा के नाम ही पर्चा लगान जारी होना और उक्त त्रुटि के सुधार हेतु इनकी आपसी सहमति के आधार पर म्युटेशन संख्या 698 स्वीकृत होकर चारो भाईयों का नाम हिस्सा बराबर ¼-¼ (जमाबंदी संवत 2026-2029) दर्ज होना जाहिर किया गया। किन्तु इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा न तो कोई तनकी कायम की गयी और न ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी इस संबंध में कोई विवेचन किया गया है।

इसी प्रकार कालान्तर में धन्ना के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात के ¼ हिस्से बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज जडाव पत्नी धन्नाराम फौत होने पर उसके हिस्से की भूमि किशना पुत्र जुगा, भीखा के वारिसान घेवर मोहन खेमा मला पिसरान भीखाराम तथा किस्तूर के वारिसान घीसा, काना, पदमा, पांचा व रामचन्द्र के पक्ष में दर्ज होने एवं उसके परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान के हक-हकूक बाबत कोई तनकी कायम कर साक्ष्य का विवेचन करते हुए निष्कर्ष पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जुगा के मात्र तीन पुत्र धन्ना, भीखा व किस्तुरा ही होना अर्थात किशना इनका सगा भाई नहीं होने एवं जुगा का पुत्र नहीं होने के तथ्य को सिद्ध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में धन्ना एवं उसके बाद उसकी पत्नी जडाव लाऔलाद निर्वसीयती फौत होने की स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान में भीखा तथा किस्तुर के वारिसान की भांति किशना पुत्र जुगा भी सम्मिलित होना प्रकट होता है।

तत्कालीन खातेदारान द्वारा खसरा संख्या 2825 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा भूमि बाबत निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 24 अप्रेल 1979 तथा बाद में अन्य खसरान में से किशनराम पुत्र जुगाराम द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 11 मई 1989 के संबंध में पायी जाती है, अर्थात इन पंजीबद्ध बेचान दस्तोवजात के कारण

31-0-2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकारान के हक-हकूक बाबत होने वाले प्रभावों के संबंध में कोई तनकी कायम कर साक्ष्य का विवेचन करते हुए निष्कर्ष पारित किया गया है। न्याय के मूल बिन्दु तक पहुँचने के लिए इन बिन्दुओं के संबंध में विधिवत तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद सभी तनकियात बाबत समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार समुचित कारणों सहित निष्कर्ष अंकित कर स्पीकिंग ज्युडिशियल ऑर्डर पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी विधिसम्मतः, न्यायोचित, निर्धारित प्रकिया के अनुरूप एवं स्पीकिंग ज्युडिशियल ऑर्डर की श्रेणी का निर्णय नहीं होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है। अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 10 फरवरी 2023 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि उपरोक्त समस्त आब्जर्वेशन के अनुरूप अतिरिक्त तनकियात कायम की जावे और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद समस्त तनकियात बाबत समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार समुचित कारणों सहित निष्कर्ष अंकित करते हुए न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-8-2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर